न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनु

मु0न0	किस्म मु0	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
12/19	धारा 91	12.02.19	28.02.19

उनवान सरकार बनाम मोहर सिंह पुत्र सागर जाति जाट निवासी ढाणी डागियान तह0 बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। मामला संक्षित में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिर्पोट प्रस्तुत की है कि ग्राम ढाणी डागियान की राजकीय भूमि गै0मु0 जोहड में ख0न0 1011 रकबा 1.24है0 किस्म गै0मु0 जोहड में 0.02व0.610 वर्गमीटर भूमि पर मोहर सिंह पुत्र सागर जाति जाट निवासी ढाणी डागियान ने अवैध सरसो व जई की फसल एंव गोबर की बेरी चारो मेड बनाकर अतिक्रमण किया गया है।

रिर्पोट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमी जो काबिज नियमन नही है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। व जैर बहस रिर्पोट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किय सरसो व जई की फसल एंव गोबर की बेरी चारो मेड के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 1.00व 1.00 कुल की 50 गुणा जुर्माना राशि 100/– रू बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसुली/ की जाकर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 28.02.19 खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप तहसीलदार

सिंघाना झुन्झुनु

Scanned with CamScanner